

2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

का जमाबन्दी संवत् 2075-78 के खाता सं. 199 में आदित्यसिंह पु. रणजीतसिंह  
की लही नहीं है प्रार्थी के आधारकार्ड पर न्यय पत्र व जमाबन्दी खाता संख्या 2075 में  
आदित्यसिंह पु. रणजीतसिंह इन्हें जो कि शुद्ध किया जाना इफित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :- 23/10/21

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / की जाती है।

*[Signature]*  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुंभुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 26/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	खीवासर	2075-78	199	आदित्यसिंह पुत्र रणजीसिंह	आदित्य सिंह पुत्र रणजीत सिंह

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 26/10/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 415-16

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी